

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 21 / 2014

दायर दिनांक 14.02.2014

मु0 नाराणी

उनवान

बनाम

मिटुलाल

प्रा0 प0 अन्तर्गत धारा 229 रिव्यु आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 12.02.2020

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई जिसमें वकिल वादी प्रस्तुत होकर प्रकरण में नोट प्रैस अंकित कर कार्यवाही नहीं चाहता है प्रकरण ड्राप किया जाता है अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

